राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम सहदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 600/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन करते हुये अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो |	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2017 पारित करते हुये तहसीलदार शाहपुरा को विवादित खसरा नम्बर 904/2 रकबा 5.97 हैक्टेयर ग्राम गोविन्दपुरा बाखड़ी तहसील शाहपुरा का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार मौके एवं कब्जे को दृष्टीगत रखते हुये उभयपक्षों की मौजूदगी में राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुरूप बंटवारा कर रिपोर्ट बंटवारा मय कुर्रेजात तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19/05/2017 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उध्दृत तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन वाद में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से समस्त पक्षकारान/सहखातेदारान का विभाजन कर उनका अलग-अलग खाता लगान कायम नही किया गया है, जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नाधीन खाते के सभी सहखातेदारान का विभाजन कर अलग-अलग खाता/लगान कायम किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतर बनाम सहदेव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/10/2018		

न्यायालय द्वारा कुर्रेजात प्राप्त होने पर पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के अनुपस्थित रहने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जबकी कानूनन लोक अदालत में पक्षकारान की सहमति के आधार पर निर्णय किया जाना आवश्यक होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य सहमति कायम किये बगैर ही प्रकरण का प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निस्तारण करने में क़ानूनी त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19/05/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नाधीन वाद में समस्त पक्षकारान/सहखातेदारान का अलग-अलग खाता लगान प्रस्तावित करते हुये कुर्रेजात तलब किया जाना सुनिश्चित करे एवं कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |